न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण सं. 34/2015 दायर दिनांक 01/09/2015

1. रामचन्द पिता नाथू जाति रेगर निवासी खोखुन्दा तहसील माण्डलगढ

प्रार्थी

बनाम

1. नाथू पिता नाराण जाति रेगर निवासी जाल का खेडा तहसील माण्डलगढ
2. गोपाल पिता जोधा जाति रेगर निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ
3. छितर पिता जगरूप जाति गुर्जर निवासी जाल का खेडा तहसील माण्डलगढ
4. श्याम लाल पिता भीमडा जाति गुर्जर निवासी जाल का खेडा तहसील माण्डलगढ

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी – महेश चन्द्र सुखवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण मनीष वैष्णव

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी0) रा0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांकः 05/09/2019

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामचन्द पिता नाथू जाति रेगर निवासी खोखुन्दा तहसील माण्डलगढ पेशा कृषि ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके नाम ग्राम पिथलपुरा प0 हल्का राजगढ तहसील माण्डलगढ की सरहद में स्थित आराजी न0 18 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 24 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। जो कि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण ने पटवारी हल्का राजगढ के आराजियात ग्राम पिथलपुरा के आराजी न0 18 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 24 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को नियमानुसारें नोटिस दिया गया। विपक्षी नम्बर 4 की ओर से अधिवक्ता मनीष वैष्णव ने अधिकार पत्र पेश किया विपक्षी गोपाल ने स्वैच्छा से कब्जा छोडने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामील पत्रावली किया गया।

तहसीलदार
माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी नम्बर 4 को कई अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अन्य अप्रार्थीगण बावजूद सुचना के उपस्थित नहीं हुये। प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील ने जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है जिसको हटाया जाना न्यायोचित है। रिपोर्ट भू0अ0नि0 काछोला के मौका रिपोर्ट प्रत्रावली मे शामील है **अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** कें तहत स्वीकार किये जाने योग्य है। अनुसुचित जाति की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा करना कानूनन न्यायोचित नही है तथा **अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत** नियम विरुद्व है।

अतः आदेश दिया जाता है क़ि ग्राम पिथलपुरा की आराजी न0 18 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 24 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा से अप्राथीगण का क़ब्जा हटाया जाकर प्रार्थी को समलाया जाने हेतु भू0 अभि0 नि0 काछोला को लिखा जावें। यदि मौके पर कब्जा सम्भलाते वक्त कानुन व्यवस्था भंग होने का अन्देशा हो तो थानाधिकारी काछोला को लिखा जाये। भू0 अभि0 नि0 काछोला द्वारा पुलिस जाप्ता की मांग की जावे तो आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली नम्बर से कंम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे–आम इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
माण्डलगढ़

(गोवर्धन लाल बैरवा)
तहसीलदार माण्डलगढ़
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner